

(13)

**निर्णय बड़जलास श्री दीपक मित्तल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित**

प्रकरण संख्या-24/2022

दायरा दिनांक 13.12.2022

निर्णय दिनांक:- 11.10.2023

उनवान

1. महावीर प्रसाद त्रिवेदी पुत्र श्री सत्यनारायण त्रिवेदी जाति ब्राहमण निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

2. मेहरुन्निसा पत्नी अब्दुल रफीक जाति मुसलमान
3. अब्दुल रफीक पुत्र अब्दुल हकीम खॉ जाति मुसलमान
4. अब्दुल वहीद पुत्र अब्दुल हफीज जाति मुसलमान निवासीगण छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. चन्द्रप्रकाश मीणा पुत्र बजरंगलाल मीणा (हल्का पटवारी) हाल आफिस कानूनगो पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)
6. राज0 सरकार जयें तहसीलदार साहब, तहसील छबडा जिला बारां(राज0)
7. सब रजिस्ट्रार साहब छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 131, 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक - 11.10.2023

अभिभाषक उपस्थित:-

1. श्री बाबूलाल जैन एड0 - प्रार्थी
2. श्री ओम गेहता एडवोकेट-प्रार्थी
1. श्री महेश प्रकाश गौतम एडवोकेट-अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 131, 136 एल.आर.एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि ग्राम


**उपखण्ड अधिकारी
बारां**

(2)

किशोरपुरा तहसील छबडा की भूमि मुताबिक जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 के अनुसार खसरा नम्बर 42 की 09 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है जो रेवेन्यू रिकार्ड में सरकारी भूमि काबिल काश्त दर्ज थी। मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2028 से 2031 के अनुसार खसरा नम्बर 42 की भूमि में से 02 बीघा भूमि सरकारी जंगल में इंतकाल नम्बर 36 से दर्ज हुई, शेष भूमि 42 की 07 बीघा 19 बिस्वा में से 02 बीघा भूमि माणकचन्द पुत्र मुरली जाति कबाडी निवासी किशोरपुरा को दिनांक 27.11.1975 को एलोट की गई। शेष भूमि में से 02 बीघा 04 बिस्वा भूमि मथरा (कल्लू) पिता किशना गाडरी को दिनांक 02.12.1976 को एलोट की गई तथा शेष भूमि में से 03 बीघा 15 बिस्वा भूमि हीरालाल पुत्र हरिराम गाडरी निवासी किशोरपुरा को एलोट हुई। जिसका इंतकाल नम्बर 138 खोला गया। इस प्रकार खसरा नम्बर 42 की सम्पूर्ण भूमि उक्त व्यक्तियों को आवंटित कर दी गई। एलोटमेन्ट के समय दखलनामे नहीं बनाए गए, जो व्यक्ति जहाँ काबिज था, उसी स्थान की भूमि आवंटित हुई थी। खसरा नम्बर 42 की भूमि में उत्तर पश्चिमी कोने पर जंगलात की 02 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 41 के सहारे की 02 बीघा भूमि माणकचन्द की, फिर बीच की भूमि 03 बीघा 15 बिस्वा हीरालाल की व पश्चिमी तरफ की भूमि 02 बीघा 04 बिस्वा मथरा (कल्लू) की थी, ऐसी ही भूमियात पर उक्त व्यक्ति वक्त आवंटन काबिज थे। हीरालाल पुत्र हरिराम ने अपनी भूमि पर एलोटमेन्ट होने के पश्चात काश्त नहीं की, भूमि कुछ समय पडत रही, फिर हीरालाल की भूमि को मथरा पुत्र किशना गाडरी ने काश्त किया, तब से ही 02 बीघा 04 बिस्वा व हीरालाल की 03 बीघा 15 बिस्वा कुल 05 बीघा 19 बिस्वा भूमि को मथरालाल ही काश्त करता चला आ रहा है। हीरालाल प्रतिवादी क्रम 2 की दुकान पर नौकर था, जिसने अपने शौक पूरे करने के लिये प्रतिवादी क्रम 2 से रूपये उधार लिए थे, रूपये लेने के दबाव में व नौकर होने के कारण प्रतिवादी क्रम 2 ने हीरालाल के खाते की भूमि को दिनांक 03.07.2004 को अन्य भूमि के साथ खसरा नम्बर 42 की भूमि 03 बीघा 15 बिस्वा के विक्रय पत्र का पंजीयन प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में करा लिया। वक्त पंजीयन क्रेता प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने किसी भी भूमियात पर कब्जा नहीं किया, विक्रयपत्र में विक्रेता ने स्पष्ट अंकित कराया था कि उक्त भूमि गांव से एक मील दूर है। भूमि के आस-पास कोई रोड निकला हुआ नहीं है। इस विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने अपने नाम इंतकाल खुलवाकर अपना नाम दर्ज करा लिया। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने उक्त भूमियात खसरा नम्बर 42 जिस पर कोई रोड नहीं था और ना ही उनके कब्जे काश्त में थी, प्रतिवादी क्रम 4 से सांठ-गांठ करके चुपचाप बिना जानकारी अन्य खातेदारान के रेवेन्यू रिकार्ड में अपनी जगह (बीच की) बदलकर रोड के सहारे तरमीम करा ली। जिसके बटा नम्बर 120/42 दर्ज कराकर नक्शा लट्टे में यह नोट मिथ्या दर्ज कर दिया गया कि "श्रीमान तहसीलदार साहब छबडा के आदेश

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

(3)

क्रमांक/भू0अ0/2015/2369 दिनांक 24.06.2015 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा की गई पेंसिल तरमीम गिन0नं0 42 संपूर्ण की तरमीम को पुख्ता तरमीम की गई। " जबकि ऐसा कोई आदेश तहसीलदार साहब द्वारा जारी ही नहीं किया गया और ना ही ऐसा कोई आदेश तहसील के रिकार्ड व हल्का पटवारी के रिकार्ड में मौजूद है। उक्त तरमीम प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने प्रतिवादी क्रम 4 से सांठ-गांठ कर रिकार्ड में हेरा-फेरी करते हुये दर्ज करा ली। हेरा फेरी किये गये रिकार्ड के आधार पर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने दिनांक 08.10.2020 को कूटरचित दस्तावेज को असली मानते हुये विक्रयपत्र का पंजीयन प्रतिवादी क्रम 3 के पक्ष में 1/2 हिस्से का करा दिया गया। उक्त समस्त कागजी कार्यवाही रिकार्ड में हेराफेरी करते हुये की जा रही है। जिसमें रेवेन्यू कर्मचारी भी शामिल है। मौके पर आज तक कब्जा किसी भी विक्रेता अथवा क्रेता का नहीं है। मथुरालाल खसरा नम्बर 42 की 05 बीघा 19 बिस्वा को एलोटमेन्ट के पश्चात से काश्त करता चला आ रहा था। मथुरालाल के स्वर्गवास होने के पश्चात उक्त भूमियात को उनके वारिसान बृजमोहन , राधेश्याम पुत्रगण मांगीबाई पुत्री मथुरा काश्त करते चले आ रहे थे। मथुरा के वारिसान को रूपयों की आवश्यकता होने के कारण दिनांक 13.10.2020 को उनके खाते की भूमि खसरा नम्बर 42 की 02 बीघा 04 बिस्वा भूमि को वादी के पक्ष में बेचान कर विक्रयपत्र का पंजीयन कराया था। जिसमें उसने अपनी भूमि गूगोर रोड पर खसरा नम्बर 111/39 की सीमा से लगी हुई है, पश्चिमी सीमा से छबडा से गुगोर रोड निकला हुआ है, अंकित कराया था। जैसा कब्जा विक्रेतागण का था, वैसे ही संपूर्ण भूमि 05 बीघा 19 बिस्वा भूमि पर वादी को कब्जा संभलाया था, जब वादी रजिस्ट्री लेने पंजीयन कार्यालय में गया तो रजिस्ट्रार महोदय ने वादी के विक्रयपत्र पर नक्शा ट्रेस के अनुसार नोट दर्ज कर दिया गया, जब इस बाबत सबरजिस्ट्रार साहब से विक्रयपत्र लेते समय इस नोट बाबत पूछा तो उन्होने बताया कि मेरी मजबूरी है, मुझे रेवेन्यू रिकार्ड के आधार पर लिखना पडा , मुझे पता है कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 का मौके पर कब्जा नहीं है, रिकार्ड में परिवर्तन प्रतिवादी क्रम 4 द्वारा किया गया है, आप इसे ठीक कराने हेतु न्यायालय में कार्यवाही करे, इस पर वादी ने रेवेन्यू रिकार्ड की नकले प्राप्त की तो वादी को राजस्व रिकार्ड में बिना किसी आदेश के जालसाजी कर हेराफेरी व कूटरचना की जानकारी हुई । वादी ने कब्जे काश्त में विक्रेतागण द्वारा संभलाई गई भूमि पर वादी ने तार फेंसिंग की गई है, जिसमें वादी काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण राजनैतिक प्रभावशाली लोग है व पूंजीपति है, प्रोपर्टी का काम करते है, उक्त व्यक्ति वादी के उपर गलत तरमीम के आधार पर जबरन कब्जा करने व वादी की तारफेंसिंग को तोडने की धमकी दे रहे है वादी ने रिकार्ड में की गई हेराफेरी की रिपोर्ट भी दी है। किन्तु राजनैतिक प्रभाव के चलते वादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना छबडा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही हैं।

उपखण्ड अधिकारी
बारों

(4)

वादी प्रतिवादीगण के सांठ-गांठ के चलते व रिकार्ड में प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से चुपचाप परिवर्तन कर गलत तरमीम की गई। जिसे वादी दुरुस्त कराकर ठीक कराने का अधिकारी है। वर्तमान में हो रही तरमीम 121/42 रकबा 02 बीघा जंगलात की अपने स्थान पर ठीक है, खसरा नम्बर 119/42 रकबा 02 बीघा भूमि माणकचन्द की अपने स्थान पर ठीक है, खसरा नम्बर 42 की भूमि 02 बीघा 04 बिस्वा की तरमीम गलत की गई है, इसकी तरमीम 120/42 के स्थान पर होना चाहिए थी और खसरा नम्बर 42 के स्थान पर खसरा नम्बर 120/42 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा की तरमीम होना चाहिए थी। जिसे वादी दुरुस्त कराने का अधिकारी है। वादी के कब्जे काश्त की भूमि प्रतिवादीगण जबरन अवैधानिक रूप से खिलाफ कानून बिना किसी वैधानिक कार्यवाही के जबरन कब्जा करने पर आमादा है। इस बाबत वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। हीरालाल की भूमि खसरा नम्बर 42 की 03 बीघा 15 बिस्वा वर्तमान में खसरा नम्बर 120/42 वादी के पूर्व खातेदार मथुरा व उसके वारिसान के कब्जे काश्त में चली आ रही है। वर्तमान में उक्त भूमि वादी के कब्जे काश्त में स्थित हैं जिसे लगभग 40 वर्षों से भी अधिक का समय हो चुका है जिस पर वादी एडवर्स प्रेजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रस्तुत वादपत्र में प्रतिवादी क्रम 5 व 6 राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब व सबरजिस्ट्रार साहब है, जिनके अधीन राजस्व रिकार्ड व पंजीयन का अधिकार होने से उन्हें इस वादपत्र में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जिन्हे धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिया जाना आवश्यक है वाद अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण धारा 80(2) सी0पी0सी0 के प्रार्थनापत्र के साथ यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है इस वाद का वाद कारण प्रथम बार विक्रयपत्र में नोट अंकित करने पर व वादी द्वारा नकले प्राप्त करने पर अंतिम बार दिनांक 16.10.2021 को प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 द्वारा जबरन कब्जा करने व तार फेंसिंग तोड़ने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजि0 कर अप्रार्थीगण को जयें सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी की ओर से नकल जमाबंदी ग्राम किशोरपुरा सम्वत् 2073-76 खाता संख्या 42, फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 13.10.2020 बृजमोहन पुत्र राधेश्याम द्वारा महावीरप्रसाद त्रिवेदी पुत्र सत्यनारायण के पक्ष में किया गया, नकल जमाबंदी ग्राम किशोरपुरा सम्वत् 2073-76 खाता सं0 43, फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 1.7.2004 से हीरालाल पुत्र हरिराम गाडरी द्वारा मेहरुनिशा पत्नी अ0 रफीक को बेचान किया गया। फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 7.10.2020 से मेहरुनिशा पत्नी अब्दुल रफीक द्वारा अब्दुल वहीद पुत्र अब्दुल हफीज को बेचान किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम किशोरपुरा सम्वत् 2073-76

4
उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

(5)

खाता संख्या 45 , नकल नक्शा ट्रेस सन् 1954 सम्वत् 2010 ग्राम किशोरपुरा , फोटो प्रति नक्शा ट्रेस , फोटो प्रति प्रतिलिपी प्राप्त करने का आवेदन, नकल जमाबंदी ग्राम किशोरपुरा सम्वत् 2036-39 , नकल जमाबंदी ग्राम किशोरपुरा समवत् 2036-39, नकल जमाबंदी ग्राम किशोरपुरा सम्वत् 2032-35 खाता संख्या 1 , नकल जमाबंदी ग्राम किशोरपुरा सम्वत् 2028-31 , नकल खतौनी बन्दोबस्त ग्राम किशोरपुरा सम्वत् 2012-31 खाता संख्या 17 , फोटो प्रति न्यायालय अति० वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सं. 1 छबडा प्रकरण संख्या 2/22 उनवान महावीर बनाम मंहरुनिशा निर्णय दिनांक 4.4.22 , फोटो प्रति न्याया. उपखण्ड अधिकारी छबडा मु.नं. 25/19 दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91ए, 188 आरटीए बउनवान राधाबाई बनाम बृजमोहन आर्डरशीट दिनांक 6.2.19 से 20.6.23 तक, फोटोप्रति वादपत्र राधाबाई बनाम बृजमोहन, विक्रय अनुबंध पत्र दिनांक 5.8.2006 मथुरालाल द्वारा राधाबाई के पक्ष में किया गया , फोटो प्रति न्याया. उपखण्ड अधिकारी छबडा प्रकरण सं. 51/20 दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 183, 188 आरटीए एवं धारा 136 एलआर एक्ट बउनवान माणकचन्द बनाम बृजमोहन आर्डरशीट दिनांक 3.9.2020 से 18.7.2023 तक, फोटो प्रति वादपत्र बउनवान माणकचन्द बनाम बृजमोहन पेश की। अप्रार्थीगण की ओर से फोटो प्रति अनुबंध पत्र दिनांक 5.8.06 मथुरालाल पुत्र किशनलाल द्वारा राधाबाई पत्नी माणकचन्द के पक्षमें किया गया। फोटो प्रति न्याया. अति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सं. 1 छबडा प्रकरण संख्या 2/22 बउनवान महावीरप्रसाद बनाम महरुनिशा निर्णय दिनांक 4.4.22 फोटो प्रति न्याया. उपखण्ड अधिकारी छबडा प्रकरण संख्या 25/19 दावा अन्तर्गत धारा 88, 89,91ए, 188 आरटीए बउनवान राधाबाई बनाम बनाम बृजमोहन आदेश दिनांक 6.2.19 दिनांक 16. 01.2023 तक , फोटो प्रति वादपत्र राधाबाई बनाम बृजमोहन फोटो प्रति प्रकरण संख्या 51/20 दावा धारा 88, 89, 91,92ए, 183, 188 आरटीए एवं धारा 136 एलआर एक्ट बउनवान माणकचन्द बनाम बृजमोहन आदेश दिनांक 3.9.20 से 18.1.2023 तक, फोटो प्रति वादपत्र माणकचन्द बनाम बृजमोहन , फोटो प्रति न्याया. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या 1 छबडा मु.न. 4/22 बउनवान महावीर प्रसाद बनाम महरुनिशा निर्णय दिनांक 9.2. 22 पेश किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई अभिभाषक प्रार्थी एवं अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में बताया कि , ग्राम किशोरपुरा तहसील छबडा की आराजी खसरा नम्बर 42 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज थी। इसमें से 2 बीघा सरकारी जंगल इंतकाल नं० 36 से दर्ज हुई , शेष भूमि खसरा नम्बर 42 की 7 बीघा 19 बिस्वा में से 2 बीघा भूमि माणकचन्द पुत्र श्री मुरली कबाडी किशोरपुरा को दिनांक 27.11.1975 को एलोट की गई। शेष भूमि में से 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि मथुरा (कल्लू) पिता किशना गाडरी को दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
बारा

(6)

02.12.1976 को एलोट की गई तथा शेष भूमि में से 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि हीरालाल पुत्र श्री हरिराम गाडरी निवासी किशोरपुरा को एलोट हुई, जिसका इंतकाल नं0 138 खोला गया। इस प्रकार खसरा नम्बर 42 की सम्पूर्ण भूमि आवंटन कर दी गई, एलोटमेन्ट के समय दखलनामा नहीं बनाया गया, जो व्यक्ति जहाँ काबिज था, उस स्थान की भूमि उसे आवंटित कर दी गई थी। उपरोक्त आवंटियों में उत्तरी पश्चिमी कोने पर जंगलात की 2 बीघा भूमि रही व खसरा नं0 41 के सहारे की 2 बीघा भूमि माणकचन्द को आवंटन की गई, बीच की भूमि में से 3 बीघा 15 बिस्वा हीरालाल व पश्चिमी तरफ की भूमि 2 बीघा 04 बिस्वा मथुरा (कल्लू) की थी तथा इसी प्रकार वक्त आवंटन सभी आवंटि काबिज थे। हीरालाल पुत्र श्री हरिराम ने अपनी भूमि एलोटमेन्ट होने के पश्चात काश्त नहीं की, वह भूमि कुछ समय के लिये पडत पडी रही। फिर हीरालाल की भूमि को मथुरा पुत्र श्री किशना गाडरी ने काश्त किया तबसे ही 2 बीघा 4 बिस्वा व हीरालाल की 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि कुल 5 बीघा 19 बिस्वा भूमि को मथुरालाल ही काश्त करता चला आ रहा है। हीरालाल, अब्दुल रफीक पुत्र श्री अब्दुल हकीम मुसलमान जो इस प्रकार में अप्रार्थी क्रम 02 है की दुकान पर नौकर था, हीरालाल ने अपने शौक पूरे करने के लिये अप्रार्थी क्रम 02 से रूपये उधार लिये थे। रूपये लेने के दबाव में व नौकर होने के कारण अप्रार्थी क्रम 02 ने हीरालाल के खाते की भूमि को दिनांक 03.07.2004 को अन्य भूमि के साथ खसरा नम्बर 42 की भूमि 3 बीघा 15 बिस्वा के विक्रयपत्र का पंजीयन अप्रार्थी क्रम 01 जो अप्रार्थी क्रम 02 की पत्नी हे के पक्ष में करवा लिया। वक्त पंजीयन अप्रार्थी क्रम 01 ने कभी भी भूमि पर कब्जा प्राप्त नहीं किया, विक्रयपत्र में विक्रेता ने स्पष्ट अंकित किया है कि उक्त भूमि गांव से एक मील दूरी पर है व भूमि के आस-पास कोई रोड निकला हुआ नहीं है। इस विक्रयपत्र के आधार पर अप्रार्थी क्रम 01 ने अपने नाम इन्तकाल खुलवा लिया। इस प्रकार अप्रार्थी क्रम 01 ने उक्त भूमियां खसरा नम्बर 42 जिस पर कोई रोड नहीं था और ना ही उनके कब्जे काश्त में थी, चन्द्रप्रकाश मीणा पुत्र श्री बजरंगलाल मीणा तत्कालीन पटवारी से सांठ-गांठ करके चुपचाप बिना किसी जानकारी के अन्य खातेदारान के रेवेन्यू रिकार्ड में अपनी जगह बीच की जगह को बदलकर रोड के सहारे तरमीम करवा ली। जबकि पंजीयन में स्पष्ट लिखा था कि यह भूमि रोड के पास नहीं है एवं जिसका बटा नम्बर 120/42 दर्ज करवाकर नक्शा लट्टे में यह नोट मिथ्या दर्ज करवा लिया कि श्रीमान तहसीलदार छबडा के आदेश क्रमांक/भू0अ0/2015/2369 दिनांक 24.06.2015 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा की गई पेंसिल तरमीम मि0नं0 42 की सम्पूर्ण तरमीम को पुख्ता तरमीम की गई। जबकि ऐसा कोई आदेश तहसीलदार साहब द्वारा जारी नहीं किया गया और ना ही ऐसा कोई आदेश तहसील के रिकार्ड या हल्का पटवारी के पास मौजूद हैं यह सांठ-गांठ अप्रार्थी क्रम 01 व 02 ने अप्रार्थी क्रम 04 से मिलकर दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
बारौ

(7)

करवायी है। इस हेराफेरी के रिकार्ड के आधार पर अप्रार्थी क्रम 01 ने दिनांक 08.10.2020 को उस कूटरचित दस्तावेज को असली मानते हुये 1/2 हिस्से के विक्रयपत्र का पंजीयन अप्रार्थी क्रम 03 अब्दुल वहीद पुत्र श्री अब्दुल हफीज जाति मुसलमान निवासी छबडा के नाम करवा दिया। उक्त सारी कार्यवाही केवल रिकार्ड में हेराफेरी करते हुये की गई है, जिसमें रेवेन्यू कर्मचारी भी शामिल हैं मौके पर आज तक कब्जा न तो महरुनिशा का रहा और ना ही अब्दुल रफीक का रहा, ना ही अब्दुल वहीद का रहा और ना ही कभी पूर्व खातेदारान हीरालाल का कब्जा रहा है। मथुरालाल खसरा नम्बर 42 की भूमि 5 बीघा 19 बिस्वा को एलोटमेन्ट के पश्चात से ही काश्त करता चला आ रहा था, मथुरालाल के स्वर्गवास होने के पश्चात उक्त भूमि को उसके वारिस बृजमोहन राधेश्याम पुत्र व मांगीबाई पुत्री काश्त करते चले आ रहे थे। मथुरालाल के वारिसान को रूपये की आवश्यकता होने के कारण दिनांक 13.10.2020 को उन्होने उनके खाते की भूमि खसरा नम्बर 42 की 2 बीघा 04 बिस्वा भूमि महावीर प्रसाद प्रार्थी को बेचान कर विक्रयपत्र का पंजीयन करवाया जिसमें उसने अपनी भूमि छबडा-गुगोर मुख्य रोड पर खसरा नम्बर 111/39 की सीमा से लगी हुई है। पश्चिम सीमा में छबडा से गुगोर रोड निकला हुआ है अंकित करवाया था, ओर कब्जा क्रेतागण का था। जैसा कब्जा मथुरालाल का था, वैसा ही कब्जा उसके वारिसान ने महावीर प्रसाद को संभलाया था, जब प्रार्थी 5 दिन बाद रजिस्ट्री लेने पंजीयन कार्यालय में गया तो रजिस्ट्रार महोदय ने प्रार्थी के विक्रयपत्र पर नक्शा ट्रेस के अनुसार नोट लगाया हुआ था। विक्रयपत्र का पंजीयन दिनांक 13.10.2020 को किया जा चुका था, नोट बाद में किसी अन्य तारीख में लगाया गया। जब इस बाबत सब रजिस्ट्रार से प्रार्थी ने पूछा तो उन्होने बताया कि मेरी मजबूरी है, मुझे वर्तमान रेवेन्यू रिकार्ड के आधार पर लिखना पडा है जबकि एक बार दस्तावेज पंजीयन होने के बाद सब रजिस्ट्रार उस दस्तावेज पर किसी भी प्रकार की लिखापढी नहीं कर सकता है और यदि वह लिखापढी करता है तो वह खिलाफ कानून है और उस लिखापढी से कोई भी पक्षकार पाबंद नहीं है जब नकल लेने प्रार्थी गया तो उसको इसकी जानकारी हुई कि इस रजिस्ट्री में हेरा फेरी व कूट रचना की गई है, जबकि सब रजिस्ट्रार के सामने जो दस्तावेज पेश किया जाता है, उस दस्तावेज पर सब रजिस्ट्रार या तो रजिस्ट्री करेगा और यदि उसमें कोई कमी है तो कमी बतायेगा और कमी पूर्ति होने के बाद रजिस्ट्री करेगा या रजिस्ट्री करने से इन्कार करेगा। रजिस्ट्री पर किसी तरह का अंकन करने का अधिकार सब रजिस्ट्रार को नहीं होता है। सब रजिस्ट्रार केवल मात्र स्टाम्प ड्यूटी की कमी या अधिक होने के बाबत में नोट लगा सकता है उससे ज्यादा अधिकार सब रजिस्ट्रार को नहीं है, स्टाम्प ड्यूटी भी डी.एल.सी. की रेट के अनुसार जमा करवायी जाती है और वह स्टाम्प ड्यूटी महावीर प्रसाद द्वारा मुख्य मैन रोड की जो छबडा गुगोर रोड है की डी.एल.सी. रेट की जमा

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

(8)
करवायी गई है। जब प्रार्थी द्वारा छबडा गुगोर रोड की निर्धारित डी.एल.सी. रेट मुताबिक राशि जमा करवाई गई है तो प्रार्थी को नक्शे में भी छबडा गुगोर मैन रोड पर ही दर्शाया जाना चाहिए था, क्योंकि प्रार्थी ने रजिस्ट्री होने के बाद में अपनी खरीदशुदा भूमि पर जो छबडा गुगोर मैन रोड पर है के चारो ओर लेवलिंग करवाकर तार फैंसिंग कर दी, जो आज भी हो रही है। यदि पूर्व खातेदार हीरालाल की भूमि छबडा गुगोर मुख्य रोड पर होती तो वर्ष 2004 में विक्रेता हीरालाल द्वारा विक्रयपत्र में मुख्य रोड की भूमि का अंकन कर पंजीयन करवाया गया होता क्योंकि छबडा गुगोर मुख्य रोड खसरा नम्बर 10 में सेटलमेन्ट के समय वर्ष 1954 सम्वत् 2010 से ही खसरा नम्बर 42 के सहारे से निकला हुआ है। किन्तु अप्रार्थीगण राजनैतिक, प्रभावशाली, पूंजीपति लोग है, जो प्रोपर्टी का कार्य करते है तथा प्रार्थी द्वारा खरीद की गई भूमि जिसमें तार फैंसिंग हो रही है, उस तार फैंसिंग को तोडने की धमकी दे रहे है। पीछे की भूमि खरीदने के बावजूद भी अवैध और मिथ्या तरमीम को आधार बनाकर प्रार्थी के कब्जे व काश्त की भूमि को जबरन षडयंत्र पूर्वक हथियाने का प्रयास करते है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध पुलिस थाना छबडा में भी कई बार रिपोर्ट की गई, किन्तु राजनैतिक दबाव में पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती है।

अप्रार्थीगण की सांठ गांठ के चलते अप्रार्थी क्रम 01 ता 03 को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गलत तरमीम की गई है, जिसे प्रार्थी दुरुस्त करवाकर अपने नाम करवाने का अधिकारी हैं वर्तमान में 121/42 रकबा 2 बीघा जंगलात की अपने स्थान पर ठीक है। खसरा नम्बर 119/42 रकबा 2 बीघा भूमि माणकचन्द की भी अपने स्थान पर ठीक है, खसरा नम्बर 42 की भूमि 2 बीघा 04 बिस्वा की तरमीम गलत की गई है इसकी तरमीम 120/42 के स्थान पर होना चाहिए तथा खसरा नम्बर 42 के स्थान पर खसरा नम्बर 120/42 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा की तरमीम होनी चाहिए, जिसे प्रार्थी ने रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से मथुरालाल के वारिसान बृजमोहन वगैराह से खरीद किया है, और यह नक्शा दुरुस्ती करवाने का पूर्ण अधिकार प्रार्थी को प्राप्त हैं क्योंकि इसी जगह पर प्रार्थी का कब्जा है व प्रार्थी ने इस जगह पर लेवलिंग करवाकर चारो ओर तार फेसिंग करवा रखी हैं

अप्रार्थीगण द्वारा जो कथन किया है कि दिनांक 24.06.2015 को पटवारी हल्का द्वारा पैसिल से की गई तरमीम को पुख्ता कर दिया। इस प्रकार पैसिल से तरमीम करने का अधिकार पटवारी हल्का को नहीं था। अप्रार्थी क्रम 01,02,03 की ओर से अपने अतिरिक्त कथन की मद नं. 02 में यह लिखा है कि मथुरालाल के वारिसान बृजमोहन ने एक प्रार्थनापत्र तहसीलदार छबडा को नक्शे में तरमीम करने का दिया था,

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

(9)

किन्तु बृजमोहन द्वारा ऐसा कोई प्रार्थनापत्र तहसीलदार छबडा को नहीं दिया गया। पत्रावली में बृजमोहन का शपथपत्र लगा हुआ है, जिसमें उसने कहा कि उसने कभी भी तहसीलदार छबडा के यहाँ जाकर तरमीम के लिये प्रार्थनापत्र नहीं दिया। उसका कथन यह भी है कि वह हस्ताक्षर करता है, पढा लिखा है, कभी भी अंगुठा नहीं करता और ना ही कभी अंगुठा करके उसने कोई प्रार्थनापत्र तहसीलदार छबडा को दिया। अपने अतिरिक्त कथन की मद नम्बर 03 में जो आलेखित किया गया है कि अप्रार्थी क्रम 03 द्वारा भूमि क्रय करने से पूर्व विक्रेता के राजस्व रेकार्ड को देखा गया था। जबकि प्रार्थी अपने प्रार्थनापत्र में यह लेकर आया है कि अप्रार्थी क्रम 01 व 02 पति पत्नी है और इन्होंने ही मिली भगत करके अपने नाम जो गलत रजिस्ट्री करवा ली है। उसको छिपाने के लिये अपने रिश्तेदार अप्रार्थी क्रम 03 के नाम 1/2 हिस्सा पुनः रजिस्ट्री करवायी है और उसमें यह हेर फेर करवाया है, इसलिये अप्रार्थी क्रम 03 का कथन सर्वथा मिथ्या हो जाता है इस प्रकार इस प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 01, 02 व 03 तीनों मिले हुये हैं और इसी मिलीभगत के अनुसार अप्रार्थी क्रम 01 व 02 द्वारा 1/2 हिस्सा मैन रोड पर व अप्रार्थी क्रम 03 1/2 हिस्सा मैन रोड पर आना चाहते हैं जो मिथ्या फर्जी तरमीम, षडयंत्र व कूट रचित है, जबकि प्रार्थी मैन रोड पर अपनी रजिस्ट्रीशुदा भूमि पर काबिज व काश्त करता आ रहा है जिस पर उसने तार फैसिंग करवा रखी है तथा पटवारी हल्का तहसीलदार छबडा एवं उपखण्ड अधिकारी छबडा ने भी प्रार्थी का कब्जा छबडा गुगोर मुख्य रोड पर प्रमाणित किया हुआ है जो समस्त दस्तावेज पत्रावली में शामिल है।

अप्रार्थी क्रम 02 द्वारा दिनांक 16.12.2016 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट 471/2016 पुलिस थाना छबडा में दर्ज करवाई गई थी, कि मेरी भूमि पर बहादुर, रमेश ने कब्जा कर रखा है, किन्तु उसकी तफतीश करने पर तत्कालीन थानाधिकारी व पुलिस उपाधीक्षक ने अप्रार्थी क्रम 01 व 02 का कब्जा नहीं पाया एवं उस भूमि पर पूर्व में भी मेहरूनिशा का कभी कब्जा नहीं पाया था, केवल मात्र खातेदारी में दर्ज होना पाया था। और इस प्रकार पुलिस ने भी अप्रार्थी क्रम 02 की रिपोर्ट को झूठा पाया था।

तहसीलदार छबडा की दिनांक 27.12.2021 की रिपोर्ट रेकार्ड में दर्ज है, जिसमें भी तहसीलदार छबडा ने प्रार्थी के पक्ष में पूरी पूरी रिपोर्ट दी है कि छबडा गुगोर रोड पर महावीरप्रसाद व उसके मुख्तार आम कमल कालरा का ही कब्जा है, जिसकी प्रति पत्रावली में संलग्न है तथा उपखण्ड अधिकारी छबडा ने भी दिनांक 27.12.2021 को इसी आशय की रिपोर्ट पेश कर रखी है जो पत्रावली में शामिल है।

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

(10)

प्रार्थी द्वारा तहसीलदार छबडा को ग्राम किशोरपुरा तहसील छबडा की भूमि खसरा नम्बर 42 , खसरा नम्बर मिन 120/42 , मिन 119/42 की तरमीम बाबत आदेश क्रमांक भू.अभि./2015/2369 दिनांक 24.06.2015 खसरा नं0 42 की सम्पूर्ण तरमीम बाबत व ग्राम किशोरपुरा तहसील छबडा की भूमि खसरा नम्बर 108/39/1 वर्तमान खसरा नम्बर 154/39 की तरमीम बाबत आदेश की नकल प्राप्त करने के लिये प्रार्थनापत्र दिनांक 22.03.2021 को पेश किया गया था जिस पर तहसीलदार छबडा ने दिनांक 07.04.2021 को यह रिपोर्ट दी है कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी उपरोक्त आदेश पटवार मण्डल गुगोर की फर्द चार्ज में उपरोक्त आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, अतः प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे तथा भू-अभि. निरीक्षक ने भी यह रिपोर्ट दी कि ऐसा कोई आदेश तहसील के रिकार्ड में भी जमा नहीं हैं फिर उन्होंने पटवारी हल्का को लिखा तो पटवारी हल्का ने भी लिखित में दिया कि तरमीम बाबत ऐसा कोई आदेश फर्द जांच में भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार जिस तरमीम के लिये अप्रार्थीगण बता रहे हैं वैसा कोई आदेश तहसील छबडा से जारी नहीं हुआ है, और प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया। प्रथम सूचना संख्या 582/2021 जो फर्जी तरमीम किये जाने के सन्दर्भ में दर्ज की गई थी उसमें अंतिम रिपोर्ट देने व अप्रार्थीगण 01, 02, 04 व अन्य संबंधित व्यक्तियों को बचाने के उद्देश्य से षडयंत्र पूर्वक कूटरचित दस्तावेजों की रचना की गई है।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज निम्न है

- (ए) जमाबंदी ग्राम किशोरपुरा सम्वत् 2073-2076 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 42 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा को मथुरालाल के वारिसान बृजमोहन , राधेश्याम, मांगीबाई द्वारा जरिये विक्रयपत्र भूमि का बेचान क्रेता महावीर प्रसाद त्रिवेदी के नाम दर्ज खाता हुआ।
- (बी) विक्रयपत्र दिनांक 13.10.2020 उक्त भूमि का क्रेता महावीर प्रसाद त्रिवेदी की भूमि छबडा गुगोर मैन रोड पर खसरा नम्बर 111/39 की सीमा से लगी हुई है।
- (सी) जमाबंदी ग्राम किशोरपुरा सम्वत् 2073-2076 में मेहरूनिशा के नाम खसरा नम्बर 120/42 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि क्रेता अब्दुल वहीद को बेचान किया जिसका नोट अंकित है।
- (डी) विक्रेता हीरालाल पुत्र हरिराम द्वारा विक्रय की गई भूमि ग्राम किशोरपुरा खसरा नं0 42 की 3 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 44 की 3 बीघा 05 बिस्वा कुल 2 किता रकबा 7 बीघा का विक्रयपत्र दिनांक 03.07.2004 जिसमें उक्त विक्रयशुदा भूमि की स्थिति दर्ज की गई है, कि मेहरूनिशा द्वारा खरीदशुदा भूमि के आस-पास रोड निकला हुआ नहीं है जो विक्रयपत्र में साफ साफ अंकन हो रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

कब्जे की स्थिति बाबत—

खसरा नम्बर 42 की 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर विक्रेता हीरालाल पुत्र हरिराम एवं क्रेता मेहरुनिशा का कब्जा व दखल कभी नहीं रहा है, खसरा नम्बर 44 की 3 बीघा 05 बिस्वा भूमि वाके ग्राम किशोरपुरा पर गांव बसा हुआ है, जिस पर गांव वालो के मकान आदि बने हुये है, यह रजिस्ट्री केवल मात्र रेकार्ड की करवाई गई है।

(ई) विक्रयपत्र मेहरुनिशा क्रेता अब्दुल वहीद दिनांक 08.10.2020 खसरा नम्बर 120/42 की भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि बेचान की गई है, जिसमें भूमि के आस पास कोई रोड निकला हुआ नहीं था, उसके बावजूद भी जानबूझकर षडयंत्र पूर्वक स्वयं मेहरुनिशा द्वारा विक्रयपत्र में उक्त भूमि को ग्राम किशोरपुरा के मैन रोड पर स्थित है दर्शाया गया , जबकि किशोरपुरा रोड छबडा से गुगोर रोड खसरा नम्बर 10 से होकर खसरा नम्बर 121/42 की भूमि में होकर पूर्वी ओर जाता है किन्तु जो नक्शा विक्रयपत्र में दर्ज किया गया है व गुगोर रोड खसरा नम्बर 10 के सहारे अंकित किया गया है जो विराधाभाषी है।

(एफ) नक्शा सम्बत् 2010 का प्रस्तुत किया है, जिसमें खसरा नम्बर 42 की कोई तरमीम दर्ज नहीं है।

(जी) नक्शा तरमीम बाबत नोट अंकित है, जिसमें हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 24.06.2015 की पालना में , पेसिल तरमीम को पुख्ता तरमीम की गई हैं। नोट अंकित कर प्रतिवादी क्रम 4 द्वारा इन्द्राज अंकित किया गया है।

(एच) उक्त आदेश की प्रतिलिपी का आवेदन वादी द्वारा दिनांक 22.03.2021 को प्रतिवादी क्रम 05 को दिया गया जिसकी पुस्त पर यह नोट अंकित किया गया कि तहसील कार्यालय में ऐसा कोई आदेश नहीं है, हल्का पटवारी से जांच की गई तो हल्का पटवारी ने भी लिखित कथन किया है कि ऐसा आदेश चार्ज में प्राप्त नहीं हुआ है, पूर्ण जांच उपरान्त वादी का आवेदन खारिज कर दिया गया।

(आई) जमाबंदी की प्रतिलिपियाँ जिनकी कुल संख्या 05 पेश की है , जिसमे भूमि खसरा नम्बर 42 से संबंधित विवरण दर्ज हैं

दौराने वाद/प्रार्थनापत्र अप्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी क्रम 01 ता 03 को राजनैतिक दबाव प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियो द्वारा जबरन गुगोर रोड से छबडा रोड पर कब्जा करवाने का प्रयास किया गया, जबकि अप्रार्थी 01 ता 03 का एक क्षण के लिये भी कब्जा काशत नहीं रहा। प्रार्थी महावीरप्रसाद त्रिवेदी ने खसरा नम्बर 42 की भूमि व

(12)

120/42 की भूमि को काश्त करने एवं न्यायालय में कार्यवाही करने आदि के संबंध में एक मुख्तारनामा कमल कालरा के पक्ष में दिनांक 03.12.2021 को तहरीर करा दिया था, जिसे मेरी ओर से समस्त हक अधिकार दिये गये हैं।

अप्रार्थी/प्रतिवादी क्रम 01 व 02 ने एक तहरीर रिपोर्ट दिनांक 04.10.2016 को थाना छबडा में दी थी, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 471/2016 दर्ज हुई थी। जो 143, 447, 379 भा.द.सं. में दर्ज कर अनुसंधान किया गया जिसमें हल्का पटवारी रामबाबू व गांव वालों के बयान लिये गये, 120/42 में अप्रार्थी क्रम 01 व 02 का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है, केवल रेकार्ड के मुताबिक ही खातेदारी में दर्ज होना पाया था। ऐसे ही बयान ग्राम वासियो ने दिये थे। गहन तपतीश के आधार पर जॉच अधिकारी द्वारा अंतिम रिपोर्ट सं० 157/16 को न्यायालय में प्रकरण को झूठा मानते हुये पेश किया गया है।

पूर्व खातेदार मथुरालाल की भूमि खसरा नम्बर 42 व 120/42 को बहादुर, रमेश से काश्त कराता था कुल भूमि 5 बीघा 19 बिस्वा को मथुरालाल व उसके वारिसान बहादुर व रमेश से काश्त कराते थे। वारिसान ने उक्त भूमि वादी/प्रार्थी को बेचान कर इसी स्थिति में कब्जा काश्त प्रदान किया था, जिस पर प्रार्थी की ओर से कमल कालरा बतौर मुख्तार ग्रहिता काश्त करवा रहा है। इस बाबत ग्राम वासियान किशोरपुरा ने भी पंचनामा दिया हुआ है।

वर्ष 2015 में तरमीम बाबत आदेश की नकल मांगने पर तहसीलदार साहब व हल्का पटवारी के रेकार्ड में ऐसा कोई आदेश नहीं होने पर प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया। तरमीम अप्रार्थी क्रम 04 द्वारा की गई जो अप्रार्थी क्रम 01 व 02 से सांठ-गांठ की गई थी। रेकार्ड के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रथम सूचना नं० 582/2021 अंतर्गत धारा 420, 167 में दर्ज की गई, चूंकि खसरा नम्बर 120/42 की भूमि में से 1/2 हिस्सा प्रोपर्टी डीलरो द्वारा खरीद किया गया, जिसमें राजनैतिक पदाधिकारी भी शामिल है, प्रथम सूचना दर्ज होने पर राजनैतिक पदाधिकारियों एवं तहसील कर्मचारियों से मिल कर एक कूट रचित आदेश जो तहसील रेकार्ड में व हल्का पटवारी के पास नहीं था। की षडयंत्र पूर्वक रचना की गई जिसमें एक प्रार्थनापत्र बृजमोहन पुत्र मथुरालाल के द्वारा पेश करना बताया, जिस पर हल्का पटवारी ने तुरन्त रिपोर्ट कर दी और तहसीलदार छबडा ने भी अविलम्ब आदेश पारित कर दिया। सही तथ्य इस प्रकार है बृजमोहन हस्ताक्षर करता है, आवेदन वह स्वयं लिखकर देता, इस बाबत बृजमोहन ने शपथपत्र 100 रूपये के स्टाम्प पर आलेखित कर दिया है कि ऐसा कोई आवेदन मेरे द्वारा कभी पेश नहीं किया गया, आदेश में तहसीलदार के हस्ताक्षर में भी

उपखण्ड अधिकारी
बारों

(13)
भिन्नता है, आदेश में यह कहीं अंकित नहीं है कि नक्शा ट्रेस में पैसिल तरमीम को पुख्ता की गई, इस कूटरचित आदेश को तैयार कर अप्रार्थीगण को बचाने एवं लाभ पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास किया गया।

प्रशासन शहरो के संग अभियान में अप्रार्थी क्रम 01 के आवेदन में स्पष्ट अंकित किया गया कि मेहरुनिशा की भूमि पर कमल कालरा ने कब्जा कर रखा है, एस.डी.ओ. सा. छबडा ने कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार छबडा को लिखा, दिनांक 06.10.2021 को तहसीलदार छबडा ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट ली जिसमें भी यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि छबडा गुगोर मैन रोड पर कमल कालरा बैठा हुआ है इस पर तहसीलदार छबडा ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.11.2021 को प्रेषित की जिसमें भी स्पष्ट लिखा है कि 120/42 पर कब्जे के संबंध में श्रीमान के न्यायालय में धारा 183 के तहत वाद दायर किया जाना ही उचित होगा।

ऐसा कोई वाद अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी न्यायालय में पेश नहीं किया गया, अप्रार्थीगण विधि विरुद्ध लट्ट के दम पर जबरन कब्जा करने पर आमादा होने व अधिकारी के सहयोग से बिना कानूनी कार्यवाही किये मिथ्या तरमीम को आधार बनाकर जबरन भूमि को हडपना चाहते हैं, जिसका उन्हें कोई हक नहीं है, दिनांक 19.07.2022 को एस.डी.ओ. साहब छबडा ने पुनः हल्का पटवारी से रिपोर्ट तलब की जिसमें भी मौके पर कब्जा कमल कालरा का होना व फसल काश्त करना अंकित किया है

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व कब्जे को मध्यनजर रखते हुये प्रार्थी अपनी भूमि छबडा से गुगोर रोड होना व हल्का पटवारी की रिपोर्ट व अंतिम सूचना नं० 157/16 में भी अप्रार्थीगण का कभी कब्जा होना नहीं पाया गया, लगातार कब्जा काश्त पूर्व खातेदार मथुरालाल व उसके वारिसान द्वारा बहादुर, रमेश से काश्त करवाना व भूमि खरीद के बाद प्रार्थी का कब्जा काश्त होना प्रमाणित है, जो कि आवंटन के समय से कब्जा काश्त होना स्पष्ट है अप्रार्थीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा, तो बिना कब्जे काश्त के तरमीम की कार्यवाही 120/42 की जो की गई है, उसे निरस्त किया जाकर गुगारे से छबडा रोड पर प्रार्थी की भूमि की तरमीम की जावे एवं गलत तरमीम के आधार पर प्रार्थी की रजिस्ट्री में अंकित नोट को भी तरमीम आदेश के अनुसार प्रार्थी के हको पर प्रभाव शून्य किया जावे।

प्रार्थी ने लिखित बहस पेश कर लिखा कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज व रेकार्ड तथा कब्जे के आधार पर 120/42 की तरमीम आदेश दिनांक 24.06.2015 को निरस्त कर प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 42 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

(14)

2 बीघा 04 बिस्वा की तरमीम छबडा से गुगोर रोड पर खसरा नम्बर 10 के सहारे तरमीम करने के व प्रार्थी के विक्रयपत्र में अंकित नोट को प्रार्थी के हको पर निरस्त करने के आदेश तहसीलदार छबडा को प्रदान करने की कृपा करे। प्रार्थी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, जौधाराम व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्थान अजमेर एस0बी0 सिविल रिट पिटिशन नं0 6316/2017 की दृष्टांत पेश की गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में बताया कि -प्रार्थी द्वारा कथित नक्शा में दुरुस्ती जानबूझकर षडयंत्र पूर्वक करना अभिवचन किया है जो 136 के परव्यू में नहीं आता , आपराधिक कृत्य राजस्व अधिकारियों द्वारा करना बताया है , आवंटन के समय दखलनामा नहीं बनाया, जो जहाँ बैठा था काबिज था वही आवंटन कर दी साक्ष्य का विषय है। हीरालाल ने बेची नौकर था कोई रोड नही बताया साक्ष्य के अधीन तय होगा, बटा नं0 120/42 बिना आदेश क्रमांक 2369/24.6.2015 दर्ज की मिथ्या अभिवचन है आदेश पत्रावली में संलग्न हैं, कूटरचित दस्तावेज से अप्रार्थी क्रम 3 के नाम बेची कब्जा हीरालाल का नहीं रहा। न अप्रार्थी का है। मिथ्या कथन है , अप्रार्थी की फसल चोरी से काटे जाने का प्रकरण दर्ज होकर एफआईआर 471/16 की चार्ज शीट पर न्यायालय द्वारा दिनांक 15-2-2023 को प्रसंज्ञान लिया गया है , रजिस्टर्ड दस्तावेज पर दर्ज नोट को निरस्त करने अथवा अवैध शून्य घोषणा का अधिकार सिविल न्यायालय को है जो प्रार्थी ने नहीं किया है , बृजमोहन द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर दुरुस्ती का आदेश हुआ। , एफ.आई.आर. 582/21 में एफ.आर. देने के आशय से 24.6.15 का आदेश बताया है एफ. आर. की आगे कार्यवाही नहीं की है। प्रशासन शहरो के संग रिपोर्ट 17.11.21 दावा 183 का करना उचित होगा। अर्थात अप्रार्थी का कब्जा है। 19.7.22 कमल की फसल होना पाया की रिपोर्ट वाद के दौरान मिथ्या तैयार दस्तावेज है। , दावा/प्रार्थनापत्र की प्रार्थना है कि 24.6.2015 निरस्त किया जावे कि जो घोषण की श्रेणी की सहायता है। प्रार्थनापत्र 136 एल.आर. एक्ट में प्रदान नहीं की जा सकती। 136 के श्रवणाधिकार पर माननीय रेवेन्यू बोर्ड ने न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 2008 पेज 34 प्रभू बनाम रामजीलाल में निर्णित किया है। साथ में अन्य न्यायिक दृष्टान्त संलग्न है 1. आर.आर.डी 2010 पेज 764 , 2. आरबीजे 2017 पेज 439, 3. आरबीजे 2007 पेज 640

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई । पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम किशोरपुरा सम्वत् 2063-66 खाता संख्या 42 के अनुसार खसरा नम्बर 41/1 रकबा 0.05 बीघा , खसरा नम्बर 42 रकबा 2.04 बीघा मथुरा पुत्र किशना गाडरी के खातेदारी में दर्ज है जमाबंदी के कालम 11 से 17 में नामा0 नं0 382 दिनांक 21.11.2020 से जर्ने विक्रयपत्र खातेदार बृजमोहन , राधेश्याम , मांगीबाई

उषखण्ड अधिकारी
बारा

(15)

के खसरा नम्बर 42 रकबा 2.04 बीघा पर क्रेता महावीरप्रसाद त्रिवेदी पुत्र सत्यनारायण त्रिवेदी जाति ब्राहमण सा. छबडा का नाम दर्ज हुआ का नोट अंकित है। नकल जमाबंदी ग्राम किशोरपुरा सम्वत् 2063-66 खाता सं. 42 मथुरा पुत्र किशना जाति गाडरी का नाम दर्ज रिकार्ड है जमाबंदी के कॉलम सं. 11 से 17 में नामा० सं० 377 दिनांक 2.10.2020 से जयें विरासत मृतक मथुरा के स्थान पर वृजमोहन, राधेश्याम पुत्र मथुरा, मांगीबाई पुत्री मथुरा हि० बराबर जाति गाडरी सा० देह का नाम दर्ज करने का आदेश हुआ। एवं नामा. सं. 382 दिनांक 21.11.2020 से जयें रजि० विक्रयपत्र खातेदार वृजमोहन, राधेश्याम पुत्र मथुरा, मांगीबाई पुत्री मथुरा के खसरा नम्बर 42 रकबा 2.04 बीघा पर क्रेता महावीरप्रसाद त्रिवेदी पुत्र सत्यनारायण त्रिवेदी जाति ब्राहमण सा० छबडा का नाम दर्ज हुआ का नोट अंकित है इससे यह साबित होता है कि खातेदार मथुरा के फौत होने पर उसके वारिसान के नाम नामा० खुला तथा मथुरा के वारिसान द्वारा ख.नं. 42 रकबा 2.04 बीघा भूमि जयें रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से महावीर प्रसाद त्रिवेदी पुत्र सत्यनारायण त्रिवेदी जाति ब्राहमण नि० छबडा को बेचान की गई जिसका नाम० सं० 382 दिनांक 21.11.2020 से क्रेता का नाम दर्ज हुआ फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 13.10.20 से वृजमोहन , राधेश्याम पुत्र मथुरा , मांगीबाई पुत्री मथुरा जाति गाडरी निवासी किशोरपुरा द्वारा खसरा नम्बर 42 रकबा 2.04 बीघा भूमि महावीरप्रसाद त्रिवेदी पुत्र सत्यनारायण त्रिवेदी जाति ब्राहमण सा० छबडा द्वारा 5,40,000/-में विक्रय की गई। रजि० विक्रयपत्र में पेज नं. 2 व 3 पर लिखा हुआ है कि बेचानशुदा आराजी वाके माल किशोरपुरा में छबडा गुगोर मैन रोड पर खसरा नम्बर 111/39 की सीमा से लगी हुई है उक्त भूमि माल किशोरपुरा तहसील छबडा में एवं मुख्य रोड छबडा गुगोर मैन रोड पर स्थित है। उक्त भूमि की पश्चिमी सीमा से छबडा गुगोर मैन रोड निकला हुआ है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 42 रकबा 2.04 बीघा भूमि छबडा गुगोर मुख्य सडक पर क्रय की गई है तथा स्टाम्प ड्यूटी भी डीएलसी रेट मैन रोड की अदा की गई है। नकल जमाबंदी ग्राम किशोरपुरा सम्वत् 2063 से 2069 खाता संख्या 43 में महरूनिशा पत्नी अब्दुल रफीक जाति मुसलमान सा० छबडा का नाम दर्ज रिकार्ड है जमाबंदी के कॉलम सं० 11 से 17 में नामा० सं. 381 दिनांक 16. 10.20 से जयें विक्रयपत्र खातेदार महरूनिशा के खसरा नम्बर 120/42 रकबा 3.15 बीघा में हिस्सा 1/2 पर क्रेता अब्दुल वहीद पुत्र अब्दुल हफीज जाति मुसलमान सा. देह का नाम दर्ज हुआ का नोट अंकित है इससे यह साबित होता है कि खसरा नम्बर 120/42 रकबा 3.15 बीघा , खसरा नम्बर 125/44 रकबा 3.05 बीघा कुल 2 किता रकबा 7 बीघा महरूनिशा पुत्र अब्दुल रफीक के खातेदार में दर्ज है नामा. नं. 381 दिनांक 16.10.20 से खसरा नम्बर 120/42 रकबा 3.15 बीघा में हिस्सा 1/2 पर क्रेता अब्दुल वहीद पुत्र अब्दुल हफीज के नाम दर्ज हुई। फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 3.7.2004 से

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

(16)

हीरालाल पुत्र हरिराम जाति गाडरी निवासी किशोरपुरा द्वारा खसरा नम्बर मिन 42 रकबा 3.15 बीघा , खसरा नम्बर मिन 44 रकबा 3.05 बीघा कुल किता 2 रकबा 7.00 बीघा 80,000/-रूपये में महरूनिशा पत्नी अब्दुल रफीक जाति मुसलमान नि० छबडा को बेचान किया जाना पाया जाता है विक्रयपत्र के पेज नं० 2 की अन्तिम 3 लाईनो में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उक्त भूमि की गांव से दूरी एक मील है भूमि एक फसली है भूमि की मिट्टी मटमेली है आने जाने का साधन पैदल एवं बैलगाडी से है भूमि के आस पास कोई रोड निकला हुआ नहीं है उक्त भूमि नगरपालिका क्षेत्र से काफी दूरी पर है। इससे यह साबित होता है कि खसरा नम्बर मिन 42 रकबा 3.15 बीघा एवं खसरा नम्बर 44 रकबा 3.05 बीघा भूमि महरूनिशा द्वारा जर्जे रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से क्रय की गई है तथा जमीन के आस पास रोड नहीं है महरूनिशा की भूमि रोड से दूर है रोड पर स्थित नहीं है फोटो प्रति विक्रयपत्र दिनांक 8.10.2020 से महरूनिशा पुत्र अब्दुल रफीक जाति मुसलमान नि० छबडा द्वारा खसरा नम्बर 120/42 रकबा 3.15 बीघा भूमि में से 1/2 भाग अब्दुल वहीद पुत्र अब्दुल हफीज जाति मुसलमान निवासी छबडा को 7,00,000/-रूपये में बेचान होना पाया जाता है विक्रयपत्र के पेज नम्बर-3 की आठवी लाईन में लिखा हुआ है कि बेचानशुदा सम्पूर्ण आराजी ग्राम किशोरपुरा मैन रोड पर स्थित है इससे यह साबित होता है कि महरूनिशा खातेदार द्वारा खसरा नम्बर 120/42 रकबा 3.15 बीघा में से 1/2 हिस्सा का बेचान किया है महरूनिशा द्वारा खसरा नम्बर मिन 42 रकबा 3.15 बीघा क्रय किया था तथा भूमि के आसपास कोई रोड स्थित नहीं होना विक्रयपत्र में बताया गया था। जब भूमि के आसपास क्रय करते समय रोड नहीं था तो विक्रय करते समय किशोरपुरा में मैन रोड पर भूमि कहीं से आ गई। वह मैन रोड कौनसा है यह विक्रयपत्र में खुलासा नहीं किया है मेहरूनिशा द्वारा बिना मैन रोड की भूमि को रोड पर स्थित करके अधिक रूपये वसूलने की नियत से बेचान किया गया है जबकि मेहरूनिशा की रजिस्ट्री में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भूमि के आसपास कोई रोड स्थित नहीं है। मेहरूनिशा द्वारा बेचान की गई भूमि के विक्रयपत्र के पृष्ठ संख्या-4 में दर्शाया गया नजरी नक्शा के अनुसार खसरा नम्बर 120/42 छबडा गुगोर मैन रोड पर स्थित है जबकि भूमि क्रय करते समय कोई तरमीम नहीं हो रही थी। भूमि मैन रोड पर नहीं होने पर भी मेहरूनिशा द्वारा मैन रोड पर तरमीम करवा ली वह गलत है।

नकल जमाबंदी ग्राम किशोरपुरा सम्वत् 2063-66 खाता संख्या 45 के अनुसार माणकचन्द पुत्र मुरली जाति कबाडी सा०देह का नाम दर्ज रिकार्ड है नकल नक्शा किशतवार ग्राम किशोरपुरा सन् 1954 सम्वत् 2010 के अनुसार खसरा नम्बर 42 काफी बडा है जिसकी तरमीम नहीं हो रही है फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस ग्राम किशोरपुरा के अनुसार खसरा नम्बर 42 की तरमीम हो रही है। नक्शा ट्रेस पर तहसीलदार छबडा के

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

आदेश क्रमांक/भू0अ0/2015/2363 दिनांक 24-6-15 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा की गई पेंसिल तरमीम ख0नं0 42 कर सम्पूर्ण तरमीम का पुख्ता तरमीम का नोट अंकित है फोटो प्रति प्रतिलिपी प्राप्त करने का आवेदनपत्र तहसीलदार छबडा द्वारा दिनांक 7-4-2021 को खारिज किया गया । प्रार्थी द्वारा तहसीलदार छबडा के आदेश क्रमांक भू0अ0/2015/2369 दिनांक 24-6-15 से खसरा नम्बर 42 की तरमीम की गई उसकी नकल लेने के लिये प्रार्थनापत्र पेश किया जो तहसीलदार छबडा द्वारा मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी उपरोक्त आदेश प0म0 गुगोर की फर्द चार्ज में उपरोक्त आदेश प्राप्त नहीं हुआ है अतः प्रार्थनापत्र खारिज फरमाये इस आधार पर तहसीलदार छबडा द्वारा प्रार्थनापत्र खारिज किया गया। प्रार्थी द्वारा पुनः तरमीम आदेश की नकल लेने हेतु प्रार्थनापत्र दिनांक 12.8.21 को प्रस्तुत किया गया। परन्तु दिनांक 16.8.21 को यह कह कर प्रार्थनापत्र फिर से खारिज कर दिया गया कि गुगोर की फर्द में उक्त प्रकार का आदेश प्राप्त नहीं हुआ । इससे यह साबित होता है कि तहसीलदार कार्यालय से इस प्रकार का तरमीम हेतु आदेश जारी ही नहीं हुआ तो तरमीम कैसे कर दी गई। इससे यह साबित होता है कि फर्जी आदेश जारी कर अप्रार्थी मेहरूनिशा द्वारा मैन रोड पर तरमीम करवा ली गई, नकल जमाबंदी ग्राम किशोरपुरा सम्वत् 2036-39 में खसरा नम्बर मिन 42 रकबा 3.15 बीघा हीरालाल के गैर खातेदारी में दर्ज है नकल जमाबंदी ग्राम किशोरपुरा सम्वत् 2036-39 के खसरा नम्बर 41 रकबा 5 बिस्वा , खसरा नम्बर 42 रकबा 2.04 बीघा मथुरा पुत्र किशना गाडरी को आवंटन दिनांक 17.10.75 को हुई जिसका नामा. नं. 71 गैर खातेदारी दर्ज किया गया। खसरा नम्बर मिन 41 रकबा 3.05 बीघा , खसरा नम्बर मिन 42 रकबा 2 बीघा माणकचन्द पुत्र मुरली जाति कबाडी सा0देह को दिनांक 27.11.75 को अवंटन की हुई थी जिसका नामा0 सं0 73 गैर खातेदारी दर्ज किया जाना पाया जाता है इससे यह साबित होता है कि मथुरा, हीरालाल व माणकचन्द को खसरा नम्बर 42 में से भूमि आवंटन की गई जो आवंटन के बाद आवंटी को गैर खातेदारी का नामा. दर्ज किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम किशोरपुरा सम्वत् 2032-35 के खसरा नम्बर मिन 42 रकबा 5.15 बीघा किस्म बंजड दर्ज रिकार्ड थी, नकल जमाबंदी ग्राम किशोरपुरा सम्वत् 2028-31 के अनुसार खसरा नम्बर मिन 42 रकबा 7.19 बीघा किस्म बंजड दर्ज रिकार्ड थी, नकल खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2012-21 खाता संख्या 17 बिला नाम काबिल काशत दर्ज रिकार्ड है जिसमें खसरा नम्बर 42 रकबा 9.19 बीघा बंजड दर्ज है इससे यह साबित होता है कि खसरा नम्बर 42 की भूमि का कई व्यक्तियों को आवंटन की गई आवंटन के बाद आवंटियों को गैर खातेदारी दर्ज हुई, गैर खातेदारी के बाद आवंटियों को खातेदारी अधिकार दिये गये। खसरा नम्बर 42 के खातेदारों द्वारा भूमि का अलग अलग व्यक्तियों को बेचान किया गया परन्तु भूमि की तरमीम नहीं थी।

विवादित आराजी वाके ग्राम किशोरपुरा के खसरा नम्बर 42 रकबा 2.19 बीघा की तरमीम करवाने बाबत प्रार्थी बृजमोहन पुत्र मथुरालाल कबाडी छबडा के नाम से तहसीलदार छबडा को प्रार्थनापत्र दिनांक 23.6.15 को देना बताया है प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी बृजमोहन का अंगूठा लगा होना बताया है तहसीलदार छबडा द्वारा हल्का पटवारी रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

(18)

करे मार्क किया गया। हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी बृजमोहन पुत्र मथुरालाल गाडरी सा0 देह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ग्राम किशोरपुरा के खसरा नम्बर 42 रकबा 2.04 बीघा भूमि मथुरा पुत्र किशना जाति गाडरी के नाम दर्ज है मथुरा का पुत्र बृजमोहन खसरा नम्बर 42 रकबा 2.04 बीघा भूमि की तरमीम करवाना चाहता है खातेदार मथुरा का मौके पर कब्जा भी है परन्तु खसरा नम्बर 42 का कुल रकबा 9.19 बीघा था उक्त नम्बर के टुकड़े हो चुके है उक्त नम्बर में खसरा नम्बर 119/42 रकबा 2 बीघा माणकचन्द पुत्र मुरली जाति कबाडी के नाम दर्ज है खसरा नम्बर 120/42 रकबा 3.15 बीघा भूमि महरुनिशा पत्नी अब्दुल रफीक मुसलमान छबडा के नाम दर्ज है खसरा नम्बर 121/42 रकबा 2 बीघा वन विभाग के नाम दर्ज है जिसमें से वन विभाग की भूमि की तरमीम हो रही है मथुरा का कब्जा खातेदार माणकचन्द के पश्चिमी दिशा में है अतः खसरा नम्बर 42 के सम्पूर्ण रकबा में दर्ज खातेदारो की तरमीम करने वास्ते रिपोर्ट पेश है उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलार के आदेश क्रमांक/ भू0अ0/2015/2369 दिनांक 24-6-15 को आदेश जारी कर खसरा नम्बर 42 में तरमीम करने का आदेश जारी किया जाता है , राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। प्रार्थी बृजमोहन द्वारा दिये गये 100/-रूपये के स्टाम्प पर शपथपत्र प्रस्तुत किया जिसमें कहा कि मेरे पिता मथुरालाल जी थे जो वर्ष 2002 को किशोरपुरा में अपनी सकुनत छोडकर परिवार सहित ग्राम टाकोडिया रामनगर जिला गुना चले गये थे। हमारी जमीन खसरा नम्बर 42 रकबा 2.04 बीघा थी जो छबडा गुगोर मैन रोड पर स्थित थी जिसे हम बहादुर, रमेश से काश्त करवाते थे मेरे पिता अथवा मेरे परिवार का कोई भी सदस्य हमारी किशोरपुरा की भूमि 2.04 बीघा खसरा नम्बर 42 की नक्शे में तरमीम करवाने के लिये कभी भी छबडा तहसील में नहीं गये और न ही हमने कोई प्रार्थनापत्र तहसील कार्यालय में दिया और न ही हम किसी पटवारी को जानते है । प्रार्थनापत्र में अंगूठा लगा हुआ है में हमेशा से हस्ताक्षर करता है तरमीम बाबत तहसील कार्यालय में की गई कार्यवाही फर्जी व झूठी है इससे यह साबित होता है कि बृजमोहन के द्वारा दिया गया प्रार्थनापत्र पर अंगूठा का निशान है और बृजमोहन के शपथपत्र के आधार पर वह हस्ताक्षर करता है प्रार्थनापत्र 23.6.15 को तरमीम बाबत प्रस्तुत होना बताया तथा दिनांक 24.6.15 को तहसील कार्यालय से आदेश जारी हुआ तथा उसी दिन नक्शा में तरमीम की गई इतनी तेज गति से तरमीम किया जाना पूर्ण रूप से संदेह की श्रेणी में आता है कोई भी कार्य इतनी तेज गति से नहीं किया जा सकता है जो एक दिन में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना तथा दूसरे दिन पटवारी हल्का की रिपोर्ट आना एवं उसी दिन आदेश जारी होना तथा आदेश जारी होने के तुरन्त बाद तरमीम हो जाना संदेहप्रद है मेहरुनिशा पत्नी अब्दुल रफीक द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 को ग्राम पंचायत गुगोर में दिनांक 6.10.21 को

(19)

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर ग्राम किशोरपुरा की भूमि पर कमल कालरा नाम के व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है जबरदस्ती खेत जोत रहा है जबरदस्ती खेत बेचने का दबाव बना रहा है प्रार्थीया मेहरुनिशा द्वारा सीमाज्ञान कराकर कब्जा दिलाने का निवेदन किया था जिस पर हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली गई हल्का पटवारी द्वारा खसरा नम्बर 42 की तरमीम हो रही है सभी खातेदार मुताबिक तरमीम अपनी अपनी भूमि पर बैठे हैं केवल मेहरुनिशा पत्नी अब्दुल रफीक हि0 1/2 अब्दुल वहीद पुत्र अब्दुल हफीज हि0 1/2 जाति मुसलमान की भूमि पर कमल कालरा बैठा हुआ है तहसीलदार द्वारा उनके पत्र क्रमांक/केम्प/2021/77 दिनांक 17.11.21 से उपखण्ड अधिकारी को ग्राम किशोरपुरा ग्राम पंचायत गुगोर के खसरा नम्बर 120/42 पर कब्जे बाबत रिपोर्ट में बताया कि मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 120/42 पर कब्जे के संबंध में श्रीमान के न्यायालय में धारा 183 के तहत वाद दायर किया जाना उचित होगा। इससे यह साबित होता है खातेदार मेहरुनिशा का भूमि पर कब्जा ही नहीं था भूमि क्रय करते समय भूमि पर कब्जा ही नहीं लिया मेहरुनिशा द्वारा मात्र भूमि खरीदी गई है कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है केवल मात्र खाता का बेचान हुआ है

ग्राम किशोरपुरा की आराजी खसरा नम्बर 42 की भूमि माणकचन्द पुत्र मुरली जाति कंबाडी को 2 बीघा भूमि दिनांक 27.11.1975 को आवंटन हुई थी खसरा नम्बर 42 में से ही 2.04 बीघा भूमि मथुरा पुत्र किशना गाडरी को दिनांक 2.12.1976 को आवंटन हुई थी , 3.15 बीघा भूमि हीरालाल पुत्र हरिराम को आवंटन की गई । जिस व्यक्ति का जहाँ कब्जा था उसको वहीं पर आवंटन कर दी गई थी। हीरालाल का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काशत नहीं रहा , मथुरालाल ही काशत करता था। हीरालाल द्वारा अपने खाते की आराजी दिनांक 3.7.04 को खसरा नम्बर 42 रकबा 3.15 बीघा भूमि विक्रयपत्र पंजीयन अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में करा दिया। क्रेता द्वारा किसी भी भूमि पर कब्जा प्राप्त नहीं किया , विक्रयपत्र के आधार पर क्रेता द्वारा अपने नाम नामा10 खुलवा लिया , अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा क्रय की गई भूमि के आस पास कोई रोड नहीं था यह उसके विक्रयपत्र से साबित होता है अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा खसरा नम्बर 42 की सम्पूर्ण भूमि की तरमीम करा ली गई अप्रार्थी द्वारा तरमीम मुख्य मैन रोड छबडा गुगोर पर करवा ली गई जबकि तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी का भूमि पर कब्जा नहीं था और भूमि के आसपास कोई रोड स्थित नहीं था तो मुख्य सडक छबडा गुगोर पर तरमीम कैसे करवा ली । अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा मैन रोड की स्टाम्प ड्यूटी भी नहीं दी गई तथा प्रार्थी द्वारा मुख्य सडक छबडा गुगोर रोड पर स्थित भूमि को स्टाम्प ड्यूटी भी अदा की गई हे तहसीलदार द्वारा खसरा नम्बर 42 रकबा 2.04 बीघा का पंजीयन प्रार्थी के पक्ष में छबडा गुगोर मुख्य रोड का किया गया था तथा स्टाम्प ड्यूटी भी

मैन रोड छबडा गुगोर की प्रार्थी से जमा करवाई गई थी। परन्तु तहसीलदार/पंजीयन रजिस्ट्रार द्वारा प्रार्थी की रजिस्ट्री/विक्रयपत्र पर यह नोट अंकित किया कि प्रस्तुत दस्तावेज का ग्राम किशोरपुरा के रिकार्ड अनुसार मौका देखा गया, दस्तावेज में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 42 ग्राम किशोरपुरा राजस्व नक्शे अनुसार मुख्य सडक पर स्थित खसरा नम्बर 120/42 के बाद स्थित है अतः दस्तावेज को छबडा गुगोर मुख्य रोड से लगी हुई ना मानते हुये छबडा गुगोर मुख्य सडक से 100 से 500 मीटर की परिधि में पंजीकृत किया जाता है तहसीलदार द्वारा प्रार्थी से स्टाम्प ड्यूटी मुख्य सडक की लेने के बाद इस प्रकार का विक्रयपत्र पर नोट अंकित करने का कोई अधिकार नहीं है।

उपरोक्त प्रार्थनापत्र एवं जवाब प्रार्थनापत्र तथा अधिवक्तागणों की लिखित बहस का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आये है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 42 का बडा रकबा था जिसमें कई व्यक्तियों को आवंटन किया गया था कुछ आवंटियों का भूमि पर कब्जा नहीं था कब्जे के आधार पर व खाते के आधार पर खातेदारान द्वारा भूमि का बेचान किया गया। हीरालाल द्वारा अप्रार्थी क्रम 1 को अपने खाते की भूमि का बेचान जर्ने रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से किया गया परन्तु क्रेता को भूमि पर कब्जा नहीं दिया गया। क्रेता की भूमि पर रमेश, बहादुर काशत करते थे। अप्रार्थी क्रम 1 मेहरुनिशा की रजिस्ट्री में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि जमीन के आस पास कोई रोड स्थित नहीं है जब जमीन के आस पास रोड स्थित नहीं है तो छबडा गुगोर मैन रोड पर तरमीम किस आधार पर करवा ली गई। तहसीलदार छबडा द्वारा भूमि पर कब्जा काशत की दरकिनार करके अप्रार्थी क्रम 1 मेहरुनिशा के पक्ष में तरमीम कर लाभ पहुंचाने का कार्य किया है तहसीलदार द्वारा प्रार्थनापत्र बृजमोहन के द्वारा दिया जाना बताया है तो बृजमोहन के खाते एवं कब्जे की भूमि मुख्य सडक छबडा गुगोर रोड पर स्थित थी उसके कब्जे काशत की भूमि की तरमीम मुख्य सडक पर होनी चाहिए थी। तहसीलदार के ओदश की प्रति प्रार्थी द्वारा लेने का प्रार्थनापत्र दो बार भिन्न-भिन्न तारीखों में प्रस्तुत किया गया था दोनों बार प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किया गया कि प०म० गुगोर की फर्द चार्ज में उपरोक्त आदेश प्राप्त नहीं हुआ है प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे। प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश के खिलाफ जब 420 का मुकदमा दर्ज करवाया गया। मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस उपअधीक्षक छबडा द्वारा तहसीलदार छबडा से उक्त तरमीम आदेश की प्रति चाही गई तो उपअधीक्षक छबडा को तरमीम आदेश की प्रति उपलब्ध करा दी। बाद में यह आदेश कहां से आ गया प्रार्थी को नकल नहीं दी गई इससे भी यह अंदेशा होता है कि अप्रार्थी क्रम 1 मेहरुनिशा को फायदा पहुंचाने के लिये किया गया है प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह साबित होता है कि विवादित आराजी पर अप्रार्थी क्रम 1 का कब्जा पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है अप्रार्थी क्रम 1 मेहरुनिशा द्वारा मैन रोड की भूमि कय नहीं की गई और

(33)

(21)
न ही मैन रोड की स्टाम्प ड्यूटी दी गई। पीछे की भूमि खरीद की थी। प्रार्थी द्वारा मैन रोड की भूमि कय की गई थी और स्टाम्प ड्यूटी भी मैन रोड की दी गई थी तथा कब्जा भी प्रार्थी के द्वारा मैन रोड पर लिया गया ओर आज भी कब्जा मैन रोड पर प्रार्थी का ही हैं अप्रार्थी क्रम 1 मेहरुनिशा द्वारा मैन रोड पर करवाई गई तरमीम मिथ्या एवं गलत है, क्योंकि उसकी भूमि पीछे की है उसकी भूमि के आसपास रोड नहीं होना उसके रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से साबित होता है तहसीलदार छबडा के आदेश क्रमांक/ भू0अ0/2015/2369 दिनांक 24-6-15 की पालना में की गई तरमीम खारिज किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है तहसीलदार छबडा का आदेश क्रमांक/ भू0अ0/2015/2369 दिनांक 24-6-15 खारिज किया जाता है तहसीलार छबडा को निर्देशित किया जाता हे कि विवादित आराजी वाके किशोरपुरा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 42 के खातेदारान की भूमि की तरमीम उनके कब्जे काश्त एवं विक्रयपत्र अनुसार की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दीपक मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
बारां

उपखण्ड अधिकारी, बारां